

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-152 / 2014

संस्थित दिनांक 26.02.2014

फाई. क्र.234503001762014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

सुभाष मरावी पिता धरमसिंह, उम्र 21 वर्ष,
 निवासी ग्राम टिंगीपुर थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट

— — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 16/03/2018 को घोषित)**

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 06.02.2014 को करीब 12:00 बजे ग्राम भुरूक चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए. 0635 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत चन्द्रपाल धुर्वे को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना के समय प्रार्थी चंद्रपाल अपनी पत्नि गौराबाई के साथ ग्राम भुरूक से टाटा एस. वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.0635 में बैठकर मोहगांव बाजार जा रहे थे, उसी समय आरोपी टाटा एस. वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.0635 के चालक सुभाष मरावी ने वाहन को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर विशाल कुसरे के मकान की डहल में घुसा दिया, जिसमें प्रार्थी चंद्रपाल वल्के को वाहन के डाले पर गिरने से चोटें आयी थी। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान प्रार्थी चन्द्रपाल वल्के की बेड हेड टिकिट एवं एक्स-रे रिपोर्ट जिला अस्पताल से प्राप्त की गई, जिसमें डॉ० साहब द्वारा एक्स-रे रिपोर्ट में नो

बोन इंज्यूरी सीन उल्लेख किये हैं। आरोपी सुभाष मरावी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र क्रमांक 23/14 दिनांक 21.02.2014 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 06.02.2014 को करीब 12:00 बजे ग्राम भुरूक चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.0635 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत चन्द्रपाल धुर्वे को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी चंद्रपाल अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी सुभाष को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 01 वर्ष पुरानी दिन के 11:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह और उसकी पत्नि गौरा ग्राम भुरूक से चार पहिया वाहन में बैठकर मोहगांव बाजार जा रहे थे। उक्त वाहन आरोपी सुभाष चला रहा था। आरोपी सुभाष ने ग्राम भुरूक में ही चलाते हुये कुशरे के डहल में वाहन को घुसा दिया था, जिससे उसे कमर एवं बांये पैर में

चोट आई थी। दुर्घटना में आयी चोट के कारण वर्तमान में उसे चलते नहीं बनता है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उक्त दुर्घटना आरोपी सुभाष की गलती से हुई थी, क्योंकि आरोपी सुभाष ने डहल पर घुसा दिया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी चंद्रपाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह उक्त वाहन के छत पर बैठा था। साक्षी के अनुसार आरोपी सुभाष ने गाड़ी के ऊपर बैठाया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह लोग स्वयं गाड़ी के छत पर बैठे थे, आरोपी सुभाष ने उठाकर नहीं बैठाया था, वह अपना भला-बुरा समझता है और उसके बाद भी वाहन के छत में बैठा था, उसे बाजार जल्दी पहुँचना था, बस को समय होने के कारण वह पीकप वाहन से बाजार जल्दी जा रहा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि छत से वाहन चालक की सीट उसे नहीं दिखती थी, घटना के समय आरोपी सुभाष गाड़ी नहीं चला रहा था, घटना के समय पवन चला रहा था, पुलिस ने उसे यह बताया था कि घटना के समय पवन गाड़ी चला रहा था, किन्तु पवन के पास लायसेंस न होने के कारण उन्होंने सुभाष को आरोपी बनाये है, वह पवन के द्वारा गाड़ी चलाने वाली बात को जानता है और आज झूठे कथन कर आरोपी सुभाष के द्वारा वाहन चलाने वाली बात बता रहा है, पवन ने उसे न्यायालय में अपना नाम बताने से इंकार किया था। वह नहीं जानता कि घटना के समय सुभाष के साथ पवन बैठा था या नहीं।

07— साक्षी चंद्रपाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे पुलिस ने सुभाष का नाम गाड़ी चला रहा था कि बात बताया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार आरोपी सुभाष चला रहा था। साक्षी ने इन

सुझावों को अस्वीकार किया है कि छत में बैठने के कारण तथा वहां पर पकड़ने की जगह न होने के कारण वह अनियंत्रित होकर स्वयं गाड़ी से गिर गया था, जिसके कारण उसे चोट आई थी तथा आरोपी सुभाष की कोई लापरवाही नहीं थी।

08— साक्षी गौराबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी सुभाष को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब एक वर्ष पुरानी दिन के 11:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह और उसका पति चन्द्रपाल ग्राम भुरुक से चार पहिया पीकप वाहन में बैठकर मोहगांव बाजार जा रहे थे। उक्त वाहन आरोपी सुभाष चला रहा था। जैसे ही उनका वाहन ग्राम भुरुक से मोहगांव बाजार जाने के लिये निकला, तभी सामने से एक बस आयी और पीकप वाहन को आरोपी सुभाष ने डहेल में घुसा दिया था, जिससे उसके पति गिर गये थे और उन्हें चोट लगी थी। वह पीकप वाहन के अंदर बैठी थी, इस कारण उसे चोट नहीं लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना आरोपी सुभाष की गलती से घटित हुई थी।

09— साक्षी गौराबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह पीकप वाहन में ड्रायवर के पास बैठी थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन को पवन चला रहा था, आरोपी सुभाष नहीं चला रहा था, उसके पति अपनी इच्छा से ही पीकप वाहन के छत पर जाकर बैठा था। साक्षी के अनुसार आरोपी सुभाष के कहने पर गाड़ी के छत पर बैठा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पति स्वयं अपने पैरों से गाड़ी की छत में बैठे थे।

10— साक्षी गौराबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उनके वाहन के सामने से बस आ रही थी और उसी दौरान उसके पति अनियंत्रित होकर पीकप वाहन के छत से नीचे गिर गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पीकप वाहन के छत पर कोई सीट होती है और ना ही

पकड़ने की व्यवस्था होती है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह पुलिस वालों के बताये अनुसार आरोपी सुभाष द्वारा घटना के समय वाहन चलाने वाली बता बता रही है, घटना के समय वाहन को पवन चला रहा था।

11— साक्षी गौराबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे यह बताया थी कि पवन के पास लायसेंस नहीं है और सुभाष के पास लायसेंस था, इसलिए सुभाष को आरोपी बनाया गया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी सुभाष ने पैसों की उन्हें कोई मदद नहीं किया था, इसलिए आरोपी सुभाष चला रहा था वाली बात बता रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे पवन नाम के लड़का ने कोई खर्चा नहीं दिया।

12— साक्षी रविकुमार अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.02.2014 को दिन के बारह बजे की है, मोहगांव बाजार भुरूक गांव से टाटा वाहन एम.पी. 50/एल.ए-0635 मैं बैठकर जा रहा था, उसके साथ उस वाहन में चंद्रपाल वल्के और उसकी पत्नि गौराबाई वल्के भी बैठकर मोहगांव बाजार जा रहे थे, जैसे ही वाहन विशाल कुसरे के घर के पास पहुँचा तो टाटा वाहन क्रमांक एम. पी.50/एल.ए.-0635 को आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए विशाल कुसरे के घर की दहल पर घुसा दिया था, जिससे चंद्रपाल वाहन पर से गिरने से उसके पीठ कमर व दोनों पैरों पर चोट आयी थी, आहत को उसी वाहन में बैठाकर बैहर अस्पताल ईलाज के लिए ले जाकर भर्ती किये थे, घटना को कीर्तन कुसरे ने भी देखा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

13— साक्षी कीर्तन कुशरे अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना पिछले वर्ष गुरुवार को दिन के समय ग्राम भुरुक की उनके घर की है। घटना के समय वह बाहर गया हुआ था। वापस आने पर उसे पता लगा कि एक पीकप वाहन चालक ने सामने से आ रही बस को कास करने के लिए पीकप को उनके घर में घुसा दिया था, जिससे वाहन में बैठे गांव के एक लड़के को चोट आई थी। घटना कैसे और किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता तथा वह आरोपी को नहीं जानता है और ना ही उसने पुलिस को घटना के समय बयान दिया था।

14— डॉ० डी.के. राउत अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.02.2014 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 07.02.2014 को एक्स-रे टेक्नेशियन निलेश गौतम ने आहत चंद्रपाल के डी.एल. स्पाईल का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 1256 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए-1 है।

15— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 06.02.2014 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक तहरीर टी.आई. बैहर को दी गई थी, जो प्र. पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लेख है कि उसके

द्वारा दोहपर 1:45 मिनट पर आहत चंद्रपाल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लाने वालों के अनुसार वाहन पीकअप से लगने से चोटें आई थी।

16— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को ही थाना बैहर से सैनिक महिपाल क्रमांक 245 द्वारा आहत चंद्रपाल का जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया था और उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत को निम्नलिखित चोटें आई थी। चोट क्रमांक 01— कंट्यूजन जो कि ढाई गुणा दो इंच लिये हुये, तिरछापन लिये, जिसमें विकृति आ गई थी, अनियमित किनारे, लालीमा लिये, उक्त चोट रीढ़ की हड्डी पर 11वें एवं 12वें नंबर के स्पाइन पर, चोट क्रमांक 02—कंट्यूजन जो कि एक गुणा आधा इंच लिये हुए, अनियमित किनारे, उक्त चोट बांये पैर पर सामने तरफ एवं चोट क्रमांक 03—एब्रेजन जो कि आधा गुणा आधा इंच लिये हुए थी, अनियमित किनारे, उक्त चोट दाहिने जांघ पर सामने की तरफ होना पाया था। सामान्य अवस्था में आहत होश में था, लेकिन अच्छी हालत में नहीं था। हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र में विकार आ गया था।

17— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 के अनुसार उसके द्वारा चोट क्रमांक 01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। चोट नंबर 3 कड़े एवं खुरदुरे सतह से आ सकती है। उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। आहत को देख-रेख हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चोट क्रमांक 01 के लिये उसके द्वारा एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा शेष चोटों के लिये एक्स-रे की सलाह नहीं दी गई थी। साक्षी के

अनुसार शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी, इसलिये एक्स-रे की सलाह नहीं दी गई थी।

19— बचाव साक्षी महेन्द्रलाल ब.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी सुभाष मेरावी को जानता है। घटना गुरुवार बाजार के दिन की है, तारीख उसे याद नहीं। पवन नाम का लड़का घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा एस. भुरुक लेकर जा रहा था। घटना में प्रयुक्त वाहन के पीछे मोहसीन बस वाले उसे दौड़ा रहे थे, क्योंकि वह उनकी सवारी लेकर जा रहा था। पवन नाम के लड़के ने टाटा एस. वाहन को डहल में घुसा दिया था। अगर बस वाले नहीं दौड़ाते तो उक्त टाटा एस. वाहन को पवन डहल में नहीं घुसाता तो घटना नहीं होती। उक्त घटना में आहत जिसे चोट आयी थी, उसका नाम घटना पुरानी होने के कारण उसे याद नहीं है। घटना के पांच मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुँचा था। वह पीछे मैजिक सवारी गाड़ी लेकर आ रहा था। फिर आहत को कमर में चोट लगी थी। फिर उसने तथा बैलूचंददास वाहन मालिक के साथ उसकी मैजिक सवारी गाड़ी में आहत को बैहर अस्पताल लाकर भर्ती किये। फिर वह वापिस चला गया। फिर वाहन मालिक आहत को लेकर बालाघाट अस्पताल ले गये। पुलिस ने उसके बयान नहीं ली थी। आरोपी सुभाष को घटना में आरोपी इसलिये बनाया गया था, क्योंकि पवन नाम के लड़के के पास जो कि घटना दिनांक को वाहन चला रहा था के पास वैध लायसेंस नहीं था तथा बीमा क्लेम करने के लिये पुलिस वालों ने सुभाष को झूठा आरोपी बनाये थे। उक्त घटना में पवन की लापरवाही थी।

20— बचाव साक्षी महेन्द्रलाल ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पवन ग्राम नेवरगांव का रहने वाला है। साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह न्यायालय में आरोपी सुभाष के साथ गवाह देने आया है, उसने पुलिस को उक्त घटना के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ नहीं की थी, इसलिये उसने पुलिस को नहीं बताया था कि उक्त घटना पवन की गलती

से हुई थी।

21— बचाव साक्षी महेन्द्रलाल ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के वक्त वाहन टाटा एस. को आरोपी सुभाष मरावी चला रहा था, उक्त वाहन को आरोपी सुभाष ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना की तारीख नहीं बता सकता, वाहन एम.पी.50एल.ए. तथा आखरी के चार अंक उसे घटना पुरानी होने से याद नहीं हैं, वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। साक्षी के अनुसार वह 05 मिनट बाद मैजिक गाड़ी से पहुँचा था। वह जिस मैजिक वाहन से पहुँचा था, उसका नंबर एम.पी.50टी.0384 था।

22— बचाव साक्षी महेन्द्रलाल ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि घटना के वक्त टाटा एस. वाहन को कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार घटना के पूर्व उसके आगे-आगे टाटा एस. वाहन को पवन चलाते हुए निकला था तथा घटना के समय उपस्थित लोगों द्वारा पवन द्वारा गाड़ी चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना बताया था। उसे आज नाम याद नहीं है कि उसे पवन द्वारा गाड़ी चलाये जाने की बात किसने बतायी थी। साक्षी के अनुसार घटना काफी पुरानी हो गई है, जिसके कारण उसे नाम याद नहीं है।

23— बचाव साक्षी महेन्द्रलाल ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कभी भी जाकर नहीं बताया था कि दुर्घटना के वक्त टाटा एस. वाहन को पवन चला रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के वक्त वाहन को आरोपी सुभाष चला रहा था, इसी वजह से पुलिस ने आरोपी सुभाष के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में बयान देने के लिये उसे न्यायालय से कोई नोटिस नहीं मिला था, सुभाष ने उससे कहा था कि न्यायालय में बयान देने चलना है। सुभाष मरावी से उसकी 6-7 साल से

जान-पहचान है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह चाहता है कि इस प्रकरण में सुभाष को सजा न हो। साक्षी के अनुसार जो गुनाह सुभाष ने नहीं किया है उसकी सजा उसे न मिले। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि सुभाष उसका अच्छा दोस्त है, इसलिये वह उसे बचाने के लिये आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा है।

24— साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 06.02.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 294 के अनुसार अस्पताल तहरीर की जांच की गई और गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, जिससे आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से उसके द्वारा टाटा एस. वाहन क्रमांक एम. पी.50एल.ए.0635 के चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/14 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. तथा मो.व्ही. एक्ट की धारा-184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 लेखबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए तथा बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत चंद्रपाल का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में करवाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात अपराध थाना मलाजखंड का होने से केस डायरी थाना मलाजखंड प्रेषित की गई थी।

25— साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि आहत चंद्रपाल ने उसे आरोपी चालक का नाम पवन बताया था। वह नहीं बता सकता कि पवन के पास लायसेंस था या नहीं। आरोपी सुभाष के पास लायसेंस था या नहीं वह नहीं जानता। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आहत चंद्रपाल तथा गवाह गौराबाई द्वारा पवन द्वारा वाहन चलाया जाना बताया गया था, आरोपी सुभाष वाहन नहीं चला रहा था, आरोपी सुभाष के पास लायसेंस होने के कारण बीमा

राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थी से मिलकर उसे आरोपी बनाया गया है, आहत ने उसे वाहन का नंबर घर पर बताया था। साक्षी के अनुसार अस्पताल में बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वाहन किसका था आहत ने नहीं बताया था।

26— साक्षी रविशंकर निकोसे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 09.02.2014 को चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक अपराध क्रमांक 26/14 धारा-279, 337 भा.दं०सं० की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 11.02.2014 को आहत चंद्रपाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी००२ तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत चंद्रपाल साक्षी रवि, गौराबाई, कीर्तन कुसरे के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 17.02.14 को आरोपी से गवाह सिरपत एवं विलोचनदास के समक्ष वाहन टाटा एस नम्बर एम.पी०५०/एल.ए.०६३५ है मय दस्तावेजों के गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जो प्र.पी.०३ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को इन्हीं गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी००४ तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही वाहन का मैकेनिकल परीक्षण विलोचनदास से कराया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को चालान प्रस्तुत किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

27— साक्षी रविशंकर निकोसे अ.सा.०४ ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में उसने साक्षी क्रमांक ०१ से ०४ गांव के ही एक ही परिवार के लोगों को साक्षी बनाया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन सुभाष मरावी चला रहा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन पवन नाम का लड़का जिसके पास लायसेंस नहीं था, वाहन चला रहा था, उसने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न कर

अपने मन से लेख किया है, उसने जप्ती की कार्यवाही गवाहों के समक्ष न कर अपने मन से की है, उसने मौका-नक्शा की कार्यवाही गवाहों के समक्ष नहीं की है, पवन नामक लड़के के वाहन चलाने के कारण घटना घटित हुई थी, उसने पवन के पास लाइसेंस न होने के कारण उसे आरोपी नहीं बनाया है, उसने सुभाष को इसलिए आरोपी बनाया है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस था, घटना के दिन आरोपी सुभाष वाहन नहीं चला रहा था, उसने घटना के संबंध में सही जांच नहीं की है तथा आहत को क्लेम मिलने के कारण उसने सुभाष मरावी को आरोपी बनाया है।

28— प्रकरण में बचाव पक्ष का मुख्य बचाव यह है कि घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन चालन नहीं किया जा रहा था। घटना के आहत चंद्रपाल वल्के अ.सा.01 ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन के कथन किये गये हैं। घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गौराबाई अ.सा.02 ने भी अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में घटना के समय अभियुक्त द्वारा ही वाहन चालन के कथन किये हैं, इसलिये उक्त साक्षीगण के कथनों के परिप्रेक्ष्य में बचाव साक्षी महेन्द्र लाल ब.सा.01 के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, क्योंकि आरोपी को मिथ्या संलिप्त किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष के तर्कों के समर्थन में कोई उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फलतः यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन किया जा रहा था। प्रकरण की साक्ष्य से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे वाहन से कारित प्रश्नगत दुर्घटना में चंद्रपाल वल्के को उपहति कारित हुई थी। अब प्रश्न अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षा का है। प्रकरण के लगभग सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों तथा स्वयं महेन्द्र ब.सा.01 ने पीकप वाहन को डहेल में घुसा देने के अखण्डनीय कथन किये हैं। मौका-नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल डहेल होने की पुष्टि होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 से भी साक्षीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

29— मुख्य मार्ग पर चल रहे वाहन के सड़क छोड़कर सड़क के किनारे स्थित आवासीय स्थल में टकरा कर अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार दुर्घटना कर

आहत को उपहति कारित की गई, उससे अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण आचरण का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत चंद्रपाल वल्के को उपहति कारित की, क्योंकि चिकित्सा साक्षी डॉ० राउत अ.सा.03 की साक्ष्य से आहत को घोर उपहति होना दर्शित नहीं है। फलतः अभियुक्त सुभाष मरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त कर धारा-279, 337 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

30— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त सुभाष मरावी द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं, जिस हेतु पृथक-पृथक दंड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

31— अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सुभाष मरावी को धारा-337 भा.द.सं. में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500/- (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

32— अभियुक्त को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के आहत चंद्रपाल वल्के को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-357(3) के तहत 2,000/- रुपये प्रतिकर अदा करे। उक्त प्रतिकर की राशि अपील अवधि

पश्चात् परिवादी चंद्रपाल वल्के को अदा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

33— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

34— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

35— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.0635 मय दस्तावेज के वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात् वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

36— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग)

(स.प्र.)